

44
24

पत्रावली पैरा। वकील पार्टी अनुपस्थित।
प्रकरण में वकील पार्टी को पूर्व में भी
अपराधीगण के नोटिस जस्टिस शक्ति
से पैरा करने हेतु विदायत दी जा चुकी
है। तथा धार-2 आदेश के बावजूद
भी आज दिनांक तक मामिले पैरा नहीं।
अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RPO
आदेश 9 नियम 5 के तहत अर्जिन
किन्ना आता है। पत्रावली फंसल शुभार
लोक नम्बर से कम लोक दायिल रफर
है।

